LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Bulletin Part-I

(Brief summary of proceedings)

Monday, 19 February 2024 / 30 Magh 1945 (*Saka*)

No. 53
11.20 A.M.

Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair

1. 11.20 A.M. **Special Mention (Rule-280):**

The following Members raised matters under Rule-280 with the permission of the Chair.

1. Shri Bhupinder Singh Joon
2. Shri Vishesh Ravi
3. Shri Madan Lal
4. Shri Mohinder Goyal
5. Shri Abdul Rehman
6. Shri Ramvir Singh Bidhuri, Hon'ble Leader of Opposition
7. Shri Ajay Dutt
8. Shri Virender Singh Kadian
9. Shri Surender Kumar
10. Shri Jai Bhagwan
11. Shri Somnath Bharti

(Shri Saurabh Bharadwaj, Hon'ble Minister of Water intervened)

2. 12.03 P.M. **Papers laid on the Table :**

Shri Saurabh Bharadwaj, Hon'ble Minister laid copies of the following on the Table of the House :-

(i) Notification No. F. 11(1938)/DERC/2021-22/7263/1011 dated 01/08/2023 regarding Delhi Electricity Regulatory Commission (Forum for Redressal of Grievances of the Consumers and Ombudsman) (Second Amendment) Regulations, 2023 (Hindi and English Version).

(ii) Corrigendum No. F. 11(1938)/DERC/2021-22/7263/2199 dated 19/01/2024 regarding Delhi Electricity Regulatory Commission (Forum for Redressal of Grievances of the Consumers and Ombudsman) (Second Amendment) Regulations, 2023 (Hindi and English Version).

(iii) Annual Report of Delhi Electricity Regulatory Commission (DERC) for the year 2020-21 (Hindi & English Version).

3. 12.04 P.M. **Calling Attention (Rule-54) :**

Shri Somnath Bharti, Hon'ble Member called the attention of the House towards stopping of Delhi Government's *"One Time Settlement Scheme"* of Water Bills by the concerned Officers and made a brief statement.

Shri Rajender Pal Gautam, Hon'ble Member, with the leave of the House, moved the following Resolution :

"Whereas residents of Delhi are suffering because of inflated water bills. There are around 27 lacs water connections out of which around 10.6 lacs Customers have pending arrears (Outstanding Bills). Most of these Consumers have stopped paying these water bills to DJB because they believe that their bills do not reflect their actual consumption of water. This problem has led to a situation where lacs of DJB Consumers are not paying the bills and their successive bills are increasing on account of late payment charges and interest.

Whereas this problem is partly due to water meter readers not checking meter readings regularly, especially during COVID period.

Wheres Delhi Jal Board, at its board meeting on 13.6.2023 has deliberated and approved a 'One-time settlement scheme' formally named as "LPSC and Bill Recasting Scheme 2023" that would recast water bills based on average of minimum of 2 'OK' water meter readings. This scheme would bring relief to people of Delhi and unlock revenue for Delhi Jal Board.

Whereas this House fully supports this scheme and desires that it be implemented forthwith.

Whereas despite written directions by UD Minister and Finance Minister, the Principal Secretary (UD) and Principal Secretary (Finance) have refused to implement this pro-public scheme.

Whereas the officers have privately expressed inability to implement it because they have been threatened by "higher ups" that they would be suspended or arrested by slapping false cases against them if they implemented this scheme.

Whereas it is shocking that the officers are openly and brazenly refusing to implement written orders of the Ministers, thus creating a grave constitutional crisis.

Whereas the House believes that the opposition party BJP, which exercises direct control over the officers of Delhi government and also on Hon'ble LG, for narrow, short term and illegitimate political gains, is threatening the officers to prevent the popular government of Delhi from implementing such a hugely necessary and pro-public scheme.

This House, while expressing its shock and dismay, requests Hon'ble LG to use his good offices to get these officers implement this hugely pro-people scheme and to suspend them, if the officers don't implement it."

The following Members also expressed their views :

1. Shri Rohit Kumar
2. Shri Mohinder Goyal
3. Shri Vishesh Ravi
4. Shri Parlad Singh Sawhney
5. Shri Ramvir Singh Bidhuri, Hon'ble Leader of Opposition

Shri Saurabh Bharadwaj, Hon'ble Minister of Urban Development also expressed his views.

Shri Arvind Kejriwal, Hon'ble Chief Minister replied to the discussion.

The Resolution was put to vote and unanimously adopted by voice-vote.

4. 01.15 P.M. **The Chair adjourned the House upto 11.00 AM on Tuesday, 20 February 2024.**

Delhi **Raj Kumar**
19 February, 2024 **Secretary**

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग–1
(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)
सोमवार, 19 फरवरी, 2024/माघ 30, 1945 (शक्)

संख्या–53

11.20 बजे **श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।**

1. 11.20 बजे **विशेष उल्लेख (नियम–280) :**

निम्नलिखित सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियम–280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाये :–

1 श्री भूपेंद्र सिंह जून
2 श्री विशेष रवि
3 श्री मदन लाल
4 श्री महेंद्र गोयल
5 श्री अब्दुल रहमान
6 श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, माननीय नेता प्रतिपक्ष
(श्री सौरभ भारद्वाज, माननीय जल मंत्री ने हस्तक्षेप किया।)
7 श्री अजय दत्त
8 श्री वीरेंद्र सिंह कादियान
9 श्री सुरेंद्र कुमार
10 श्री जय भगवान
11 श्री सोमनाथ भारती

2. 12.03 बजे **सदन पटल पर प्रस्तुत कागज़ात :**

श्री सौरभ भारद्वाज, माननीय मंत्री ने निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत कीं :–

i) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायत के निवारण के लिए मंच और ओम्बुड्समैन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023 के संदर्भ में दिल्ली राजपत्र (असाधारण, भाग–3) में जारी अधिसूचना संख्या एफ. 11(1938)/डीईआरसी/2021–22/7263/1011 दिनांक 01.08.2023 (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति)

ii) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायत के निवारण के लिए मंच और ओम्बुड्समैन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023 के संदर्भ में दिल्ली राजपत्र (असाधारण, भाग–3) में जारी शुद्धिपत्र संख्या एफ. 11(1938)/डीईआरसी/2021–22/7263/2199 दिनांक 19.01.2024 (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति)

iii) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के वर्ष 2020–21 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति (हिन्दी एवं अंग्रेजी)

3. 12.04 बजे **ध्यानाकर्षण (नियम–54) :**

श्री सोमनाथ भारती, माननीय सदस्य ने *पानी के बिलों पर दिल्ली सरकार की ''एकमुश्त निपटान योजना'' को संबंधित अधिकारियों द्वारा रोके जाने* के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित किया तथा संक्षिप्त वक्तव्य दिया।

श्री राजेंद्र पाल गौतम, माननीय सदस्य ने सदन की अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :

''जबकि, दिल्लीवासी बढ़े हुए पानी के बिलों से परेशान हैं। लगभग 27 लाख पानी के कनेक्शन हैं, जिनमें से लगभग 10.6 लाख ग्राहकों पर बकाया राशि (बकाया बिल) है। इनमें से अधिकांश उपभोक्ताओं ने दिल्ली जल बोर्ड को इन पानी के बिलों का भुगतान करना बंद कर दिया है क्योंकि उनका मानना है कि उनके बिलों में पानी की उनकी वास्तविक खपत को नहीं दर्शाया गया है। इस समस्या के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, जिससे लाखों दिल्ली जल बोर्ड उपभोक्ता बिलों का भुगतान नहीं कर रहे हैं और विलंबित भुगतान शुल्क तथा ब्याज के कारण उनके क्रमिक बिल लगातार बढ़ रहे हैं।

जबकि आंशिक रूप से यह समस्या पानी के मीटर रीडरों द्वारा नियमित रूप से मीटर रीडिंग की जांच नहीं करने के कारण हुई है, खासकर कोविड अवधि के दौरान।

जबकि दिल्ली जल बोर्ड ने 13 जून 2023 को अपनी बोर्ड मीटिंग में औपचारिक रूप से ''एल. पी.एस.सी और बिल रीकास्टिंग स्कीम 2023'' नामक 'एकमुश्त निपटान योजना' पर विचार–विमर्श किया और इसे मंजूरी दे दी, जो कि न्यूनतम 2 'ओके' की पानी मीटर रीडिंग के औसत आधार पर पानी के बिलों का पुनर्निर्धारण करेगी। यह योजना दिल्ली के लोगों को राहत देगी और दिल्ली जल बोर्ड के लिए राजस्व जुटाएगी।

जबकि यह सदन इस योजना का पूरा समर्थन करता है और चाहता है कि इसे तुरंत लागू किया जाए।

जबकि शहरी विकास मंत्री और वित्त मंत्री के लिखित निर्देश के बावजूद प्रमुख सचिव (शहरी विकास) और प्रमुख सचिव (वित्त) ने इस जन हितैषी योजना को लागू करने से इंकार कर दिया है।

जबकि अधिकारियों ने निजी तौर पर इसे लागू करने में असमर्थता जताई है क्योंकि उन्हें ''उच्चतरों'' द्वारा धमकी दी गई है कि यदि उन्होंने इस योजना को लागू किया तो उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करके उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा या गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

जबकि यह चौंकाने वाली बात है कि अधिकारी खुलेआम और बेशर्मी से मंत्रियों के लिखित आदेशों को लागू करने से इंकार कर रहे हैं, जिससे गंभीर संवैधानिक संकट पैदा हो गया है।

जबकि इस सदन का मानना है कि विपक्षी दल भाजपा, जो दिल्ली सरकार के अधिकारियों और माननीय एलजी पर भी सीधा नियंत्रण रखती है, अपने संकीर्ण, अल्पकालिक और नाजायज राजनीतिक लाभ के लिए दिल्ली की लोकप्रिय सरकार की ऐसी अत्यंत आवश्यक एवं जनहितैषी योजना को क्रियान्वित करने से रोकने के लिए अधिकारियों को धमकी दे रही है।

यह सदन, अपना आश्चर्य और निराशा व्यक्त करते हुए, माननीय उपराज्यपाल से अनुरोध करता है कि वे अपने अधिकारों का उपयोग करके इन अधिकारियों से इस जन–समर्थक योजना को लागू कराएं और यदि अधिकारी इसे लागू नहीं करते हैं, तो उन्हें निलंबित कर दें।''

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :

1. श्री रोहित कुमार
2. श्री महेंद्र गोयल
3. श्री विशेष रवि
4. श्री प्रलाद सिंह साहनी
5. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, माननीय नेता प्रतिपक्ष

श्री सौरभ भारद्वाज, माननीय शहरी विकास मंत्री ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

श्री अरविंद केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प मतदान के लिए रखा गया और सर्वसम्मति से ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

4. 01.15 बजे **अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 20 फरवरी, 2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की।**

दिल्ली
19 फरवरी, 2024

राज कुमार
सचिव